CMYK

डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन दिनांक 1 सितम्बर, 2024, डिस्पेच दिनांक 1 सितम्बर, 2024

| वर्ष 68 | अंक 07 | भोपाल | 1 सितम्बर, 2024 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित की समीक्षा बैठक सम्पन्न

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल के कार्यकलापों की समीक्षा माननीय सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलास सारंग जी व्दारा दिनांक 22/08/2024 को सम्पन्न की हुई। समीक्षा बैठक में श्री मनोज कुमार सरियाम, पंजीयक, सहकारी संस्थायें मध्यप्रदेश, भोपाल, श्री बृजेश शरण शुक्ल, अपर आयुक्त, सहकारिता, श्री ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी संघ, श्री मनोज सिन्हा, उप सचिव, सहकारिता विभाग, एवं ओ.एस.डी. माननीय मंत्री, सहकारिता, श्री मनोज कुमार गुप्ता, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक, श्री संजय मोहन भटनागर, संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं ओ.एस.डी. माननीयमंत्री सहकारिता, श्री अंकित श्रीवास्तव, ओ.एस.डी. माननीय मंत्री सहकारिता, श्री संजय कुमार सिंह, महाप्रबंधक, म.प्र. राज्य सहकारी संघ, श्री जी.पी. मांझी, व्याख्याता, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल, श्रीमती मीनाक्षी बान, प्रभारी प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल एवं श्रीमती रेखा पिप्पल, व्याख्याता, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, भोपाल उपस्थित रहें।

सर्वप्रथम संघ के प्राधिकृत अधिकारी पंजीयक सहकारी संस्थाऐं म.प्र. श्री मनोज कुमार सरियाम व्दारा माननीय मंत्री जी का स्वागत किया गया।

तत्पश्चात संघ के प्रबंध संचालक व्दारा संचालित गतिविधियों का एजेन्डावार प्रेजेन्टेशन माननीय मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर माननीय मंत्री जी व्दारा संतोष व्यक्त करते हुए अपेक्षा की गई कि म.प्र. राज्य सहकारी संघ को देश के राज्य सहकारी संघों में प्रथम स्थान प्राप्त करने हेतु अग्रसर होना चाहिए | इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु माननीय मंत्री जी व्दारा संघ एवं सहकारिता विभाग को निम्नानुसार सुझाव एवं निर्देश दिये गये:-

(1) संघ व्दारा अन्य राज्यों से प्रशिक्षण गतिविधियों की जानकारी संग्रहित कर स्वयं की प्रशिक्षण रणनीति बनाई जाकर विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग माड्यूल तैयार किया जाये। इस कार्य में निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जावे

(i) गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण माड्यूल तैयार करने हेतु एक कमेटी का गठन किया जावे जिसमें वर्तमान माड्यूल की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार -

परिमार्जन किया जावे। सहयोग हेतु प्रोफसर श्री धनंजय वर्मा के सुझाव भी प्राप्त करें।

(ii) प्रत्येक 6 महीनें में लागू माड्यूल की समीक्षा की जावे।

(iii) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों / स्त्रोत व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षणों में आमंत्रित किया जावे तथा स्थानीय स्तर पर अनुभवी विशेषकर सेवानिवृत्त अधिकारियों को अतिथि प्रशिक्षक के रूप में आमंत्रित किया जावे।

(iv) प्रशिक्षण के विषयों में व्यक्तित्व निर्माण एवं कर्तव्यनिष्ठा विषय पर विशेष फोकस रखा जावे।

(v) प्रशिक्षण के विषयों में पैक्स कम्प्यूटराईजेशन से संबंधित साफ्टवेयर आधारित प्रशिक्षण, नवाचार, जेम पोर्टल प्रशिक्षण को शामिल करें।

(vi) संघ एवं अपेक्स बैंक ट्रेनिंग कालेज आपसी समन्वय के साथ सहकारी साख संरचना संबंधी प्रशिक्षणों के माड्यूल का निर्धारण एवं संचालन करें जिससे प्रशिक्षणों की डुप्लीकेसी न हो सके।

(vii) राज्य सरकार एवं भारत सरकार के विभिन्न अनुसांगिक विभागों के प्रशिक्षणों की जानकारी प्राप्त कर उसमें संघ की भागीदारी बढ़ायें।

(vii) नगरीय विकास विभाग एवं खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग के प्रशिक्षणों में संघ भी सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के प्रयास किये जावें।

(ix) प्रदेश के जिला सहकारी संघों को राज्य सहकारी संघ के प्रशिक्षण माड्यूल उपलब्ध कराते हुए उक्त प्रशिक्षणों के संचालन हेतु प्रेरित करें एवं उनकी मानीटरिंग करें।

सभी जिला संघों में उपलब्ध मानव संसाधन एवं आधारभूत संरचना की विस्तृत जानकारी एकत्र की जावे।

(2) इन्दौर प्रशिक्षण केन्द्र की भूमि पर सहकारी विश्वविद्यालय सह शोध संस्थान के गठन हेतु कान्सेप्ट नोट पर अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही की जावे। इस संबंध में निम्न तथ्यों का विशेष ध्यान रखा जावे-

(i) सहकारी विश्वविद्यालय के गठन हेतु 4 – 5 अनुसांगिक विभागों (कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, वन आदि) को जोड़कर एक योजना तैयार करें।

(ii) पूर्व में शासन व्दारा लिये गये निर्णय के परिपालन में अपेक्स बैंक व्दारा अटल बिहारी सहकारी शोध संस्थान के गठन हेतु जमा राशि रू.20 करोड़ राज्य सहकारी संघ को उपलब्ध कराई जावे जिसका उपयोग संघ व्दारा शोध संस्थान व सहकारी विश्वविद्यालय के गठन में किया जा सकेगा।

(iii) सहकारिता विभाग में अधिकारी / कर्मचारी की नियुक्ति हेतु केवल सहकारी विश्वविद्यालय के डिग्री धारक को ही पात्र अभ्यर्थी घोषित करने से न केवल विश्वविद्यालय की डिग्री के प्रति युवकों में आकर्षण बढ़ेगा बल्कि विभाग को को भी भविष्य में अत्यधिक सक्षम अधिकारी / कर्मचारी प्राप्त हो सकेंगे।

(3) आऊटसोर्स एजेंसी, प्रशिक्षण एवं प्रोजेक्ट कन्सलटेंसी संबंधी गतिविधियां संचालित करने हेतु संघ को भण्डार क्रय नियम अन्तर्गत जोड़ने की कार्यवाही शासन के माध्यम से यथा शीघ्र पूर्ण की जावे। प्रदेश के सभी सहकारी बैंकों, पैक्स एवं अन्य सहकारी संस्थाओं को निर्देशित किया जावे कि वे राज्य सहकारी संघ के माध्यम से आवश्यक मानव संसाधन की प्रतिपूर्ति करें।

(4) संघ के आर्थिक आधार को सुदृढ़ करने हेतु सहकारिता अधिनियम में प्रावधानित अभिदाय, अंशदान नियमित रूप से संघ को प्राप्त हो इसके लिए विभाग स्तर से विशेष प्रयास / कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ की जावे। सहकारी साख संरचना से संघ को अभिदाय, अंशदान पुनः दिलाने हेतु अधिनियम में आवश्यकतानुसार संशोधन की कार्यवाही की जावे।

(5) सहकारी नीति में प्रावधानित राज्य सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण कोष के गठन की कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण की जावे। राज्य सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण कोष के गठन हेतु राज्य सहकारी संघ स्तर पर पृथक बैंक खाता खोला जाये। इस खाते की राशि का उपयोग सहकारी संस्थाओं के शिक्षा प्रशिक्षण, सहकारी विश्वविद्यालय, सहकारी शोध संस्थान, विभिन्न प्रोजेक्ट निर्माण, तकनीकी सलाह एवं कन्सलटेंट व्यय आदि के लिए किया जाये। इस खाते से राशि का आहरण आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें की अध्यक्षता में गठित कमेटी जिसमें प्रदेश की समस्त शीर्ष सहकारी संस्थाओं के प्रबंध संचालक सदस्य होंगे के निर्णयानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये। प्रथमतः सभी सहकारी संस्थायें दिनांक 30 सितम्बर 2024 तक अपने प्रशिक्षण निधि में कुल जमा राशि का 30 प्रतिशत राशि राज्य सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण कोष के गठन हेतु हस्तान्तरित करेंगी।

उपरोक्त कार्यों हेतु प्रारम्भिक तौर पर कुछ समय के लिए अनुभवी कन्सलटेंट की सेवायें प्राप्त की जायें। उक्त कन्सलटेंट व्दारा तैयार किये गये प्रोजेक्ट एवं विपणन नीति के आधार पर संस्थाओं को प्राप्त

(शेष पृष्ठ 2 पर)

CMYK

व्यवसाय संवर्द्धन हेतु नवाचार के माध्यम से प्रयास करें : श्री वर्णवाल

अपेक्स बैंक की 60वीं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न

भोपाल : अपेक्स बैंक के सुभाष यादव समन्वय भवन के सभागार में बैंक की 60वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन हुआ। बैठक के आरंभ में बैंक के प्रबंध संचालक श्री मनोज गुप्ता ने बैंक के प्रशासक एवं म.प्र. शासन के अपर मुख्य सचिव श्री अशोक वर्णवाल का स्वागत किया। तदुपरांत बैठक में बैंक की वित्तीय स्थिति से सभी सदस्यों को अवगत कराते हुए अवगत करया कि अपेक्स बैंक ने इस वर्ष 131.83 करोड़ रुपये का संचित लाभ अर्जित किया है तथा अपने अंशधारियों को 3 प्रतिशत की दर से 25.47 करोड़ रुपये वितरित करने की स्वीकृति भी प्राप्त की है।

श्री गुप्ता ने बैठक में वर्ष 2024-25 हेतु बैंक के वित्तीय आंकलन का पुनरीक्षण एवं 30 जून, 2024 पर वास्तविक स्थिति की समीक्षा की जानकारी प्रस्तुत की तथा वर्ष 2025-26 हेतु कार्य व्यवसाय के वित्तीय अनुमानों के प्रतिवेदनों का भी अनुमोदन तथा वर्ष 2023-24 के वास्तविक आय-व्यय (अंकेक्षित) का अनुमोदन, वर्ष 2024-25 के आय-व्यय (बजट) पुनरीक्षण एवं वर्ष 2025-26 के अनुमानित आय-व्यय (बजट) तथा बैंक के वर्ष 2023-24 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रकों का अवलोकन कराते हुए आधिक्य व्यय की स्वीकृति एवं पुष्टि कराते हुए बैंक के वर्ष 2023-24 के अंकेक्षित शुद्ध लाभ के विनियोजन/वितरण की स्वीकृति प्राप्त की एवं म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7) के परिपालन में शीर्ष बैंक के प्रशासक, उनके कुटुम्ब के सदस्यों, निकट के रिश्तेदारों के नाम पर बकाया उधारों एवं अग्रिमों की जानकारी से भी सभी सदस्यों को अवगत कराया।

बैठक को संबोधित करते हुए अपेक्स बैंक के प्रशासक एवं म.प्र. शासन में अपर मुख्य सचिव, सहकारिता श्री अशोक वर्णवाल ने जिला बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से बैंक की वित्तीय स्थिति एवं कार्य-प्रणाली पर चर्चा करते हुए निर्देशित किया कि वे अपने जिलों में बैंक के व्यवसाय संवर्धन हेतु किये गये प्रयासों की जानकारी से अवगत करायें एवं अपेक्षा की कि आप अपने जिले में नवाचार के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करते हुए प्रदेश के सहकारी बैंकों से जोड़ने के विशेष प्रयास आरंभ करें, जिससे प्रदेश का सहकारी आंदोलन सशक्त, सुदृढ़ एवं समृद्ध बन सके। बैठक में नाबार्ड द्वारा अपेक्स बैंक के ट्रेनिंग कॉलेज को ''ए'' ग्रेड प्रदान होने पर प्राचार्य एवं विशेष कर्त्तव्यथ अधिकारी श्री संजय मोहन भटनागर को तथा अमानत संग्रहण हेतु अपेक्स बैंक की जबलपुर, कोलार एवं भरतपुरी (उज्जैन) शाखा प्रबंधकों को एवं अल्पकालीन कृषि ऋणों की मांग के विरुद्ध पूर्ति हेतु मंडला, बालाघाट एवं विदिशा जिला बैंक को सर्वाधिक एनपीए कम हरने हेतु खण्डवा, विदिशा, शाजापुर जिला बैंक को एवं मेंबर लेबल की वसूली 100 प्रतिशत किये जाने वाली पैक्स राऊ (इंदौर), कनावटी (मंदसौर) एवं निरंजनपुर (इंदौर) जिला बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों/प्रबंधकों को पुरस्कृत भी किया गया।

वार्षिक साधारण सभा के पूर्व प्रथम सत्र में नाबार्ड एवं अपेक्स बैंक के संयुक्त तत्वावधान में वर्तमान डिजिटल क्रांति के युग में बैंकों की कार्य-प्रणाली में आये दिन होने वाले अपराधों से बचाव एवं सुरक्षा के उपायों पर तैयार ''सायबर सुरक्षा जागरूकता दिशा-निर्देश'' की पुस्तिका का विमोचन हुआ तथा विषय-विशेषज्ञों श्री अमूल रांहणेकर, चार्टर्ड एकाउंटेंट, श्री सचिन यादव, श्री अनूप समाधिया, श्री अजय कुलकर्णी ने व्याख्यान प्रस्तुत किये। बैठक में जिला बैंक छतरपुर के अशासकीय प्रशासक श्री करुणेन्द्र सिंह, पंजीयक सहकारी संस्थाएँ श्री मनोज सरियाम, श्री बृजेश शरण शुक्ला, श्रीमती अरुणा दुबे, श्रीमती कृति सक्सेना, श्री अरुण मिश्र, श्री अमरेश सिंह, श्री रितुराज रंजन, श्री यतीश त्रिपाठी, श्री संजय मोहन भटनागर, श्री के.के. द्विवेदी, श्री आर.एस. विश्वकर्मा, श्री आर.एस. चंदेल, श्री के.टी. सज्जन, इंदूर परस्पर बैंक के प्रशासक श्री शेखर किबे, इंदौर जिला बैंक के प्रशासक श्री मदन गजभिये, जिला बैंक धार की प्रशासक वर्षा श्रीवास, श्री आशीष राजौरिया, श्री करुण यादव, श्री विवेक मलिक, श्री समीर सक्सेना, श्री आर.व्ही. एम. पिल्लई, श्री अजय देवड़ा के साथ सभी शीर्ष सहकारी संस्थाओं/अपेक्स बैंक के अधिकारीगण उपस्थित हुए।

(पृष्ठ 1 का शेष)

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित की समीक्षा बैठक सम्पन्न

होने वाले लाभ से प्रोजेक्ट कन्सलटेंट की फीस की प्रतिपूर्ति राज्य सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण कोष में की जावेगी।

(6) संघ के पाक्षिक सहकारी समाचार पत्र का सरकुलेशन सभी पैक्स संस्थाओं सहित प्रदेश की समस्त सहकारिताओं तक सुनिश्चित करने हेतु पंजीयक सहकारी संस्थायें व्दारा तत्काल कार्यवाही की जावे जिससे न केवल संघ के पास गुणवत्तायुक्त सहकारी पत्र के लिए सब्सक्रिप्सन आधारित स्थाई कारपस फण्ड उपलब्ध हो सकेगा बल्कि आवश्यक समाचारों व सूचनाओं का प्रदेश की सभी सहकारी संस्थाओं को सतत् लाभ प्राप्त होगा। राज्य संघ व्दारा निम्न तथ्यों पर विशेष ध्यान दिया जावे:

(i) सहकारी समाचार पत्र की गुणवत्ता बेहतर एवं आकर्षक की जावे, आकार छोटा करें।

(ii) समाचार पत्र को अधिकाधिक जानकारीपरक बनायें विशेष रूप से अधिनियम, नियम की सरल व्याख्या / आलेख के माध्यम से।

(7) सी.एच.सी.डी.एस. स्कीम के तहत जारी प्रशिक्षणों के प्रतिभागियों को लेकर सहकारी संस्थाओं/एफपीओ के गठन में इस तथ्य को ध्यान में रखा जावे कि गठन से पूर्व उनका बिजनेस, प्लान / फिजिबिलिटी रिपोर्ट सकारात्मक हो।

(10) संघ व्दारा वर्तमान में किये जा रहे सशुल्क प्रशिक्षण, कन्सलटेंसी एवं आऊटसोर्स एजेंसी के रूप में दी जा रही सेवाओं का विस्तार किया जाये तथा यह लक्ष्य निर्धारित किया जाये कि अगले वित्तीय वर्ष में इन मदों में राज्य संघ की शुद्ध आय 10 करोड़ से अधिक प्राप्त हो तथा प्रदेश में 20-25 हजार व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो सके। इस हेतु संघ व्दारा एक कार्ययोजना तैयार किया जावे।

(8) प्रदेश के सहकारी क्षेत्र में नवाचार गतिविधियों के विस्तार हेतु पंजीयक सहकारी संस्थायें व्दारा शीर्ष सहकारी संस्थाओं के प्रबंध संचालकों की नियमित बैठक सुनिश्चित की जावे। इसी क्रम में पेंटर / चित्रकार, विमुक्त कैदियों की सहकारी समिति तथा नवाचार फेडरेशन का गठन किया जावे। उक्त नवाचार समितियों की उपविधियों का निर्माण संघ व्दारा यथाशीघ्र पंजीयक को उपलब्ध कराया जावे।

(9) समस्त विभागीय कार्यालयों एवं सहकारी संस्थाओं में प्रत्येक 15 दिवस पर स्वच्छता अभियान चलाने एवं कार्यालयों की छवि (ambience) बेहतर बनाने एवं प्रचार-प्रसार में वृद्धि हेतु उनका उचित रंग-रोगन, पुताई एवं प्रेरक कथनों का दीवार लेखन आदि कार्य सुनिश्चित करने हेतु पंजीयक सहकारी संस्थायें व्दारा आवश्यक निर्देश जारी किया जावे। इस कार्य को संघ के माध्यम से किया जावे जिससे संघ के उद्देश्य की पूर्ति भी होगी एवं उसका आर्यवर्धन होगा। जिससे संघ का आयवर्धन भी हो सकेगा।

(10) आगामी 25 वर्ष की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए संघ व्दारा स्वयं की परिसम्पत्तियों का मास्टर प्लान तैयार किया जावे।

(11) संघ व्दारा प्रस्तावित 5 नवनिर्मित भवनों के लोकार्पण हेतु मान्नीय मंत्री जी व्दारा सहमति व्यक्त की गई।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 11 लाख नई लखपति दीदियों को सम्मानित कर प्रमाण पत्र दिए

जलगाँव: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए और उन्हें सम्मानित किया, जो हाल ही में वर्तमान सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान लखपति बनी हैं। प्रधानमंत्री ने देश भर की लखपति दीदियों से बातचीत भी की। श्री मोदी ने 2,500 करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड जारी किया, जिससे 4.3 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लगभग 48 लाख सदस्यों को लाभ मिलेगा। उन्होंने 5,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण भी वितरित किए, जिससे 2.35 लाख एसएचजी के 25.8 लाख सदस्यों को लाभ मिलेगा। लखपति दीदी योजना की शुरुआत से अब तक एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है और सरकार ने तीन करोड़ लखपति दीदियों का लक्ष्य रखा है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, "आज, पूरे भारत में फैले लाखों महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 6000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि वितरित की गई"। उन्होंने कहा कि यह धनराशि कई महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनने के लिए प्रेरित करेगी।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस बात पर जोर देते हुए कि लखपति दीदी अभियान सिर्फ माताओं और बहनों की आय बढ़ाने का एक तरीका नहीं है, बल्कि परिवार और आने वाली पीढ़ियों को मजबूत करने का एक महाअभियान है, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, "यहां मौजूद हर महिला जानती है कि जब वह आजीविका कमाने लगती है तो समाज में उसकी सामाजिक स्थिति ऊंची हो जाती है।"

केंद्रीय ग्रामीण विकास व कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि कोई बहन मजबूर ना रहे, किसी एक बहन की भी आंखों में आंसू ना बहे, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे, इसके लिए उन्होंने लखपति दीदी अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से एक करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी हैं। आज 30000 स्थानों पर बैठी 11 लाख दीदियों को लखपति दीदी का प्रमाण पत्र मिल रहा है डेढ़ करोड़ दीदी कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित मंदसौर

स्थिति विवरण पत्रक 31.03.2024 (सेक्शन 29 बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट 1949)

जमा

गत वर्ष की राशि	पूंजी एवं देनदारिया	राशि	राशि	राशि
1250000000.00	(1) अंश पूंजी	1250000000.00		1250000000.00
	(1) अधिकृत अंश पूंजी प्रति अशं 100/–			
	(2) अभिदत अंशपूंजी अंशों में प्रति अशं 1000/–			
	(3) प्रदत्त अंश पूंजी अंशों में प्रति अंश 1000/–			
843467587.00	उपरोक्त में से धारित राज्य		891658412.00	891658412.00
646015407.00	(1) सहकारी समितियां	694203407.00		
197191170.00	(2) राज्य शासन	197191170.00		
261010.00	(3) नाम मात्र के सदस्य	263835.00		
0.00	(4) आई0सी0डी0पी0	0.00		
1264140737.28	(2) आरक्षित एवं अन्य निधि		1224278809.24	1417809478.28
243398400.00	(1) रक्षित निधि	253161400.00		
129923869.00	(2) कृषि साख स्थायी निधि	135780869.00		
184000000.00	(3) विशेष संदिग्ध डूंबत निधि	310000000.00		
118250000.00	(4) स्पेशल रिजर्व फण्ड	118250000.00		
270200000.00	(5) A संदिग्ध एवं डूंबत निधि	270200000.00		
35000000.00	B अन्य देयता और प्रावधानीकरण अन्य	35000000.00		
51750000.00	(6) भवन निधि	52750000.00		
1544000.00	(7) धर्मादा निधि	1744000.00		
8690000.00	(8) शिक्षा निधि	7452000.00		
8348000.00	(9) विनियोग हास निधि	8738000.00		
20443000.00	(10) साज सज्जा निधि	21443000.00		
233540.24	(11) ग्रेच्यूटी निधि	233540.24		
6975000.00	(12) वाहन निधि	6975000.00		
2551000.00	(13) विशेष जिम्मेदारी डुबंत संदिग्ध	2551000.00		
182833928.04	अन्य निधियां		193530669.04	
14883928.04	(1) कर्मचारी हित निधि	15599669.04		
21097000.00	(2) अंश विमोचन निधि	28907000.00		
20000.00	(3) लाभांश समानीकरण निधि	20000.00		
273000.00	(4) पारितोषिक निधि	273000.00		
41184000.00	(5) सह0 संस्था विकास निधि	42355000.00		
19800000.00	(6) शाखा समायोजन प्रावधान	19800000.00		

नामें

गत वर्ष की राशि	सम्पत्ति एवं अस्तियां	राशि	राशि	राशि
2910233047.30	(1) रोकड शेष			1447260284.36
	(a) हाथ में	521175424.30		
	(i) शाखाओं एटीएम में	1629700.00		
534027066.79	(ii) शाखाओं में	519545724.30	521175424.30	
2376205980.51	(b) बैंक के चालु अमानत खातों		926084860.06	
177038034.61	(I) अपेक्स बैंक	28138427.20		
8363085.91	(1) म0प्र0 राज्य सह0 बैंक प्र0का0 भोपाल	4434958.31		
1166249.50	(2) म0प्र0 राज्य सह0 बैंक शाखा भोपाल	1151989.82		
166102274.38	(3) म0प्र0 राज्य सह0 बैंक शाखा उज्जैन	21008353.06		
1406424.82	(4) म0प्र0 राज्य सह0 बैंक शाखा इन्दौर	1543126.01		
2199135772.90	(II) राष्ट्रीयकृत बैंक एवं व्यावसायिक बैंक	897549184.52		
125268187.05	(1) स्टेट बैंक आफ इण्डिया	60395848.89		
101000.00	(1) स्टेट बैंक आफ इण्डिया हमउ	101000.00		
240066.48	(2) स्टेट बैंक आफ इण्डिया(इन्दौर)	239417.48		
62186450.00	(3) एयू स्माल फाईनेंस बैंक	33644905.50		
4065673.78	(4) सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	4256783.24		
4436535.18	(5) यु0को0बैंक	334774.18		
609586403.85	(6) आई.सी.आई.सी.आई बैंक	177994314.44		
353071060.25	(7) पंजाब नेशनल बैंक	113083283.23		
91661408.21	(8) एच0डी0एफ0सी0 बैंक	84078372.91		
211119134.92	(9) एक्सिस बैंक	72679916.67		
556443904.52	(10) आई.डी.बी.आई. बैक शाखा मंदसौर	185921059.24		
26714552.92	(11) एक्सीस बैंक क्लियरिंग अका.	26316763.07		
63470176.52	(12) आर.टी.जी.एस. अका. सेन्ट्रल बैंक	46258127.82		
1121141.50	(13) आई.सी.आई.सी.आई. (आई.एम.पी.एस.)	1120728.50		
28400771.72	(14) आई.सी.आई.सी.आई. (ए.टी.एम.)	18038066.34		
61249306.00	(15) बैंक ऑफ बडौदा	73085823.01		
32173.00	(III) केश इन ट्रांजिट अन्य बैंको में	397248.34		
3352.66	(1) महाराष्ट्र स्टेट कॉ–आप. बैंक	0.00		
28820.34	(2) सतपूडा नर्मदा ग्रामीण बैंक	397248.34		
	(2) केश इन ट्रांजिट			
0.00	सेविंग अमानत		0.00	0.00
4636713935.50	(3) विनियोजन			7164679306.50
	(I) अंशो में		473500000.00	
473000000.00	(1) म0प्र0 राज्य सहकारी बैंक भोपाल	473000000.00		

गत वर्ष की राशि	पूंजी एवं देनदारिया	राशि	राशि	राशि
2895000.00	(7) ऋण राहत प्रावधान	2895000.00		
19581000.00	(8) माईग्रेशन अतर राशि	19581000.00		
43100000.00	(9) कम्प्यूटर निधी	44100000.00		
20000000.00	(10) छठा वेतनमान एरियर प्रावधान	20000000.00		
12585203573.22	(3) अमानतें			14268706156.70
7662467240.74	(I) म्यादी अमानतें		8312841192.97	
6719840356.70	(A) व्यक्तिगत	7280397863.45		
6684724471.14	(1) सावधि अमानत	7247057971.17		
32283911.00	(2) निरन्तर अमानत	30796625.25		
722578.35	(3) सामूहिक बीमा	467783.35		
2109396.21	(4) म्यादी अमानत (अन्य)	2075483.68		
795328840.23	(B) सहकारी समितियां		878440016.28	
168797927.50	(1) रक्षित निधि	180508094.50		
4583608.25	(2) रिस्क फण्ड	4766314.25		
6354952.00	(3) अति. डूबत संदिग्ध निधि	6611651.00		
70309818.12	(4) रिजर्व फण्ड आइ0आर0डी0 अनुदान	71951584.12		
13612342.60	(5) रिवाल्विंग फण्ड	14158464.60		
5972393.15	(6) अनिवार्य अमानत	6208638.15		
525697798.61	(7) सावधि अमानत संस्थाऐं	594235269.66		
95383867.00	(C) अन्य संस्थाऐं		95870923.00	
95383867.00	(1) नागरिक बैंक	95870923.00		
51914176.81	(D) अन्य अमानतें	58132390.24	58132390.24	
51914176.81	(1) प्रतिभूति कर्मचारी	58132390.24		
4817811964.35	(II) बचत अमानत		5871241074.71	
3893533258.04	(A) व्यक्तिगत	4643177515.89		
924278706.31	(B) सहकारी समितियां	1228063558.82		
740664834.77	(1) कृषि सहकारी समितियां	1017639163.40		
183613871.54	(2) अकृषि सह0 समितियां	210424395.42		
79455692.46	(III) कंरट अमानत		74354736.05	
62370409.90	(1) व्यक्तिगत	55076773.40		
12975093.94	(2) सहकारी समितियां	16515462.41		
4110188.62	(3) नागरिक बैंक	2762500.24		
25468675.67	(VI) मांग एवं अल्प अमानतें		10269152.97	
77482.58	1. केश केडिट	3860.85		
199108.18	2. केश केडिट सा.वि.प्र.	13658.40		
417868.42	3. केश केडिट खाद	432170.20		
24774216.49	4. केडिट राशि (समितियां)	9819463.52		
5140683129.00	(4) देय ऋण			3913760000.00

गत वर्ष की राशि	सम्पत्ति एवं अस्तियां	राशि	राशि	राशि
500000.00	(2) कृषक भारती देहली	500000.00		
	(II) सावधि अमानत		6691179306.50	
50231404.00	(1) रिजर्व फंड विनियोग म0प्र0 राज्य सह0	53747602.00		
2619350000.00	(2) शासकीय प्रतिभूति में विनियोजन	2669211700.00		
1011844882.00	(3) म0प्र0 राज्य सह0बैंक उज्जैन	2578000000.00		
0.00	(4) म0प्र0 राज्य सह0बैंक इंदौर	0.00		
0.00	(5) एयू स्माल फाईनेंस बैंक	50000000.00		
0.00	(6) नाबार्ड टर्म मनी	0.00		
0.00	(7) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	0.00		
149300000.00	(8) आई.डी.बी.आई. बैक	128600000.00		
80000000.00	(9) आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	290000000.00		
0.00	(10) एक्सिस बैंक	229000000.00		
40000000.00	(11) एच.डी.एफ.सी. बैंक	260000000.00		
70000000.00	(12) पंजाब नेशनल बैंक	155000000.00		
70000000.00	(13) यु0को0बैंक	0.00		
65000000.00	(14) बैंक आफ बडौदा	270000000.00		
7487649.50	(15) टी.डी.आर. अका. सेन्ट्रल बैंक	7620004.50		
11346830069.18	(4) ऋण बकाया			10835324676.50
9217150736.19	(1) अल्पावधि कृषि ऋण	9448745471.97	9448745471.97	
410326655.39	(2) अल्पावधि अकृषि ऋण	396223902.08	396223902.08	
	(3) नगद साख		260711785.14	
104479153.44	(aa) कृषि	107196606.24		
52374581.94	(ab) अकृषि	68595019.05		
49191008.03	(c) माल के तारण पर (सीसी लिमिट)	49402040.40		
36566289.27	(ad) अधिविकर्षण	35518119.45		
	(4) मध्यावधि		589738419.51	
1116901430.34	(aa) कृषि	447266537.74		
21153386.42	(ab) अकृषि	14913754.22		
145833835.12	(c) व्यक्तिगत ऋण	127558127.55		
	(5) दीर्घावधि ऋण		139905097.80	
101295.00	(1) ट्रेक्टर ऋण	101295.00		
3093247.00	(2) गृह निर्माण कर्मचारी	2684273.00		
142836468.48	(3) मुख्यमंत्री आवास ऋण	94419937.58		
46821982.56	(4) अपना घर योजना : ग्रह निर्माणः	42699592.22		
2894874.00	(5) ऋण राहत वसूली योग्य	0.00	2894874.00	2894874.00
2894874.00	1. राज्य शासन	2894874.00		
0.00	2. राज्य शासन नई	0.00		
1647321953.00	(6) प्राप्ती योग्य ब्याज	1957176714.60	1957176714.60	1957176714.60
24041414.00	(7) सुद वसूली योग्य ऋण राहत	24041414.00	24041414.00	24041414.00
0.00	(8)डेड स्टॉक उपबतव ।ज्ड	5500000.00	5500000.00	5500000.00
120993031.09	(9) शाखा समायोजन	120720147.09	120720147.09	120720147.09
0.00	कोर इंटर ब्रांच	0.00	0.00	0.00

गत वर्ष की राशि	पूंजी एवं देनदारिया	राशि	राशि	राशि
	देय ऋण : अपेक्स बैंक			
5129500000.00	अ. अल्पावधि		3912300000.00	
603800000.00	(1) अल्पावधि कृषि सामान्य	510400000.00		
1858700000.00	(2) अल्पावधि कृषि तिलहन	1796300000.00		
167000000.00	(3) अल्पावधि कृषि दलहन	105600000.00		
500000000.00	(4) अल्पावधि कृषि तिलहन अपेक्स बैंक	0.00		
2000000000.00	(5) अल्पावधि कृषि तिलहन नाबार्ड बैंक	1500000000.00		
0.00	(6) अल्पावधि कृषि सामान्य अपेक्स बैंक	0.00		
0.00	(7) अल्पावधि कृषि दलहन अपेक्स बैंक	0.00		
0.00	(8) अल्पावधि कृषि सामान्य (एस.एल.एफ)	0.00		
0.00	(9) अल्पावधि कृषि तिलहन (एस.एल.एफ)	0.00		
0.00	(10) अल्पावधि कृषि दलहन (एस.एल.एफ)	0.00		
0.00	(11) ओव्हर ड्राफ्ट (अपेक्स बैंक)	0.00		
0.00	(12) एनसीडीसी कार्य. पूंजी ऋण	0.00		
0.00	(13) शार्ट टर्म लिमिट नाबार्ड	0.00		
0.00	(B) केश केडिट	0.00		
0.00	(1) कैश केडिट खाद :	0.00		
11120000.00	(C) मध्यावधि		1460000.00	
11120000.00	(1) कृषि (ए.आर.एफ.)	1460000.00		
0.00	(2) कृषि (परिवर्तन नाबार्ड)	0.00		
0.00	(3) मध्या परिर्वतन	0.00		
0.00	(4) आय0सी0डी0पी0 ऋण	0.00		
63129.00	(D) दीर्घावधि		0.00	
0.00	(1) मुख्यमंत्री आवास ऋण नाबार्ड	0.00		
63129.00	(2) ग्रामीण गोदाम	0.00		
0.00	(5). वसूली योग्य बिल्स	0.00	0.00	0.00
43321061.83	(6) शाखा समायोजन/कोर इन्टर ब्रांच	0.00	30165918.36	30165918.36
43321061.83	प्र.का. ऑटो रिकंसिलेशन	30165918.36		
260000205.00	(7) कालातीत ब्याज रिजर्व		385000205.00	385000205.00
24038921.00	अ. ऋण राहत पर ब्याज	24038921.00		
235961284.00	ब. कालातीत ब्याज	360961284.00		
340387347.61	(8) ब्याज देय		418903398.99	418903398.99
0.00	अ. ऋण राहत पर	0.00		
340387347.61	ब. अमानतों पर	418903398.99		
459886839.09	(9) अन्य देनदारियां (एड्वांस व सस्पेंन्स)			429193227.14
	अ. देय योग्य बिल्स			
21168697.00	ब. अन्य देनदारियां	14726848.37	14726848.37	
438718142.09	स. फुटकर देनदारियां		414466378.77	

गत वर्ष की राशि	सम्पत्ति एवं अस्तियां	राशि	राशि	राशि
1209666.30	प्र.का. ऑटो रिकन्सिलेशन नामे	734521.83	734521.83	734521.83
35657782.08	(10) भवन एवं भूमि	33083863.08	33083863.08	33083863.08
	कीमत 45052584.08			
	अवक्षयण (–) 11968721			
	33083863.08			
17760541.30	(11) साज सज्जा	16763432.30	16763432.30	16763432.30
	कीमत 47732661.30			
	अवक्षयण (–)30969229			
	16763432.30			
3548539.29	(12) कम्प्यूटर स्टॉक	1723779.17	1723779.17	1723779.17
	कीमत 35921372.24			
	अवक्षयण (–) 34197593.07			
	1723779.17			
1317750.88	(13) वाहन	3641911.88	3641911.88	3641911.88
	कीमत 9452185.92			
	अवक्षयण (–) 5810274.04			
	3641911.88			
271420825.49	(14) अन्य सम्पत्तियां		221269694.62	221269694.62
1278940.93	(1) स्टेशनरी सोसायटी	1815932.99		
54481.99	(2) लायब्रेरी	54481.99		
8182616.76	(3) लेनदारियां	8130848.76		
6970467.86	(4) अन्य लेनदारियां	6996824.86		
2261064.00	(5) अपलेखन योग्य राशि	1911016.00		
177.36	(6) सेल अनपोस्टेड	0.00		
109866503.00	(7) ग्रेच्युटी लेना शेष एल.आई.सी.	110501315.00		
98664335.62	(8) आयकर प्राप्ती योग्य	37646614.68		
711946.95	(9) स्टेशनरी	873633.67		
19580029.54	(10) टी.सी.एस.डिफरेंन्स	19580029.54		
761185.42	(11) सस्पेंस बैलेंसिग	0.00		
1987269.05	(12) नेफ्ट सस्पेंस	14692713.72		
5665964.00	(13) सी.जी.एस.टी. (आईटीसी)	6913178.77		
5005853.00	(14) एस.जी.एस.टी. (आईटीसी)	6251696.73		
0.00	(15) सस्पेंस UID & ACH	907762.13		
787702.00	(16) प्रबंध व्यय (नामे)	0.00		
637049.00	(17) ए.टी.एम. क्लिरिंग सस्पेंस	0.00		
23262.45	(18) ऑफ बैलेंसशीट अंतर	35000.00		
4397600.00	(19) शासकीय प्रतिभुति प्रीमियम	3639300.00		
0.00	(20) CLAM FOR LORO	101090.00		
1326000.00	(21) डी.बी.टी. खाता (सस्पेंस)	1218255.78		
3258376.56	(15) आकस्मिक देयताऐं		4761534.21	4761534.21
3258376.56	अ. जमाकर्ता शिक्षा व जागरूकता अभियान	4761534.21		
21019943429.41	**महायोग**			**21839576154.14**

गत वर्ष की राशि	पूंजी एवं देनदारिया	राशि	राशि	राशि
4077759.75	(1) लायबिलिटीज पेयबल	1983104.31		
0.00	(2) जीवन बीमा निगम	0.00		
1376821.00	(3) प्राव्हिडेन्ट फण्ड	1404387.00		
2038215.00	(4) क्षतिपूर्ति अनुदान	2038215.00		
400000.00	(5) चंदा देय संघ	400000.00		
19389.00	(6) अंश वापसी	19389.00		
59590.00	(7) राहत कोष	59590.00		
832660.00	(8) रिकुमेंन्ट फण्ड	832660.00		
371675.00	(9) गोदाम ग्रीड पीडीएस	371675.00		
18537136.97	(10) बोनस देय	27437136.97		
410673.00	(11) सस्पेन्स बीज निगम	410673.00		
6656841.53	(12) ग्रेज्यूटी पेयबल	4378957.53		
10213.00	(13) अर्नेस्ट मनी	10213.00		
109866503.00	(14) गेज्यूटी विनियोजित एलआईसी	110501315.00		
1987534.70	(15) आडिट फीस	2076784.70		
0.00	(16) वाणिज्य कर	0.00		
0.00	(17) सर्विस टैक्स	66115.00		
7791945.04	(18) टी.डी.एस. भुगतान योग्य	9308876.00		
7388706.00	(19) अमानत ग्यांरटी	8144107.00		
206431.00	(20) हीरक जंयती	206431.00		
2355394.24	(21) आयकर पेयबल	3119524.95		
342850.00	(22) निविदा धरोहर	348850.00		
25142068.47	(23) प्रबंध व्यय जमा शेष	26447029.47		
298927.00	(24) एस0डी0 डिपाजिट	156723.00		
65000.00	(25) अनुदान प्रतिष्ठा योजना	65000.00		
0.00	(26) प्रोफैशनल टेक्स	0.00		
39668.00	(27) म0प्र0 राज्य कृषि विप0 बोर्ड	39668.00		
1050.00	(28) एल.आई.सी. जमा	721.00		
228804.49	(29) प्रधान कार्यालय के ड्राफ्ट भुगतान योग्य	422394.49		
0.00	(30) लोकल बैंक खाता	0.00		
724000.00	(31) चिकित्सा व्यय क्षतिपूर्ति	724000.00		
1132124.00	(32) देय प्रशा0 शुल्क	1132124.00		
1100000.00	(33) कम्प्यूटर व्यय पेयबल	1100000.00		
73668689.00	(34) संस्थाओं को लाभाशं पेयबल	73668689.00		
64998539.00	(35) ब्याज अनुदान 2 प्रतिशत	48866507.00		
3747262.75	(36) पांचवा वेतनमान कटोत्रा	3747262.75		
2733347.00	(37) आई0सी0डी0पी0	2733347.00		
1415.00	(38) लेबर वेल फेयर टैक्स	4581.00		

लाभ हानि पत्रक वर्ष 2023 — 24

गत वर्ष की राशि	व्यय का विवरण	राशि	राशि
1004375515.07	1. ब्याज दिया : अमानतों एवं ऋणों पर		1079813505.64
318671885.00	A. ऋण पर	300402106.00	
685703630.07	B. अमानतों पर	777500383.64	
0.00	C. ब्याज नाबार्ड	0.00	
0.00	D. ब्याज अपलेखन	1911016.00	
153820258.83	2. स्थापना व्यय	150634805.04	150634805.04
6476782.70	3. कार्यालय किराया बिजली,नल	6337076.22	6337076.22
4331470.00	4. अंशदान	5214000.00	5214000.00
3056593.50	5. प्रीन्टिंग एण्ड़ स्टेशनरी	2836850.15	2836850.15
1829294.66	6. वाहन खर्च	1489245.32	1489245.32
0.00	7. प्रशिक्षण व्यय	1400.00	1400.00
1026256.97	8. पोस्टेज एवं टेलीग्राम	1275737.63	1275737.63
17088776.00	9. बीमा	17140116.82	17140116.82
935600.00	10. कानूनी व्यय	302800.00	302800.00
1917500.00	11. अंकेक्षण शुल्क	1898000.00	1898000.00
7402301.00	12. अवक्षयण	7886091.00	7886091.00
34540288.77	13. अन्य व्यय	32940256.73	32940256.73
118284064.00	14. प्रावधान	251000000.00	251000000.00
19000048.00	15 आयकर	25929701.68	25929701.68
39056049.98	16 शुद्ध लाभ	44643049.08	44643049.08
1413140799.48	योग लाभ–हानि	1629342635.31	1629342635.31

लाभ हानि पत्रक वर्ष 2023 –24

गत वर्ष की राशि	आय का विवरण	राशि	राशि
1397564258.17	**1. ब्याज प्राप्त**		**1605564544.20**
1148677948.61	A. कर्ज पर	1323695864.20	
63243409.56	B. अमानतों पर	75527280.00	
185642900.00	C. विनियोग पर	206341400.00	
1802376.41	**2. कमीशन**	4848579.00	**4848579.00**
0.00	**3. अनुदान**	0.00	**0.00**
	4. अन्य आय :–		**18929512.11**
458.00	1. प्रवेश शुल्क	230.00	
2565000.00	2. अंशो पर लाभांश	0.00	
1364266.00	3. लॉकर किराया	1734002.00	
59654.20	4. सर्विस चार्ज	69572.33	
186490.64	5. अन्य आय	8700341.47	
9441855.06	7. अन्य कमीशन	7650641.00	
0.00	8. वाहन विकय	433999.00	
156441.00	9. स्टेशनरी आय	340726.31	
0.00		0.00	
1413140799.48	**योग :–**	**1629342635.31**	**1629342635.31**

हस्ता / – सांख्यिकीय प्रभारी

हस्ता / – प्रबंधक (लेखा)

हस्ता / – मुख्य कार्यपालन अधिकारी

हस्ता / – कलेक्टर एवं प्रशासक

मे0 पी.सी. छाजेड़ एण्ड कंपनी, इंदौर
(चार्टड अकाउन्टेन्टस)
सी.ए. अंकित श्रीमाल (सदस्यता न. 438226)
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 101800W

गत वर्ष की राशि	पूंजी एवं देनदारिया	राशि	राशि	राशि
712394.40	(39) वैधनाथ कमेटी	712394.40		
780292.57	(40) आई0सी0डी0पी0 ब्रांच	843421.57		
496000.00	(41) आई0सी0डी0पी0 अनुदान	496000.00		
0.00	(42) सस्पेंस UID & ACH	105958.00		
0.00	(43) ऑफ बैलेंसशीट अंतर	0.00		
10936.07	(44) सेल अनपोस्टेड जमा	0.00		
3606366.00	(45) एनसीडीसी अनुदान	3606366.00		
260207.73	(46) ए.टी.एम. व अन्य	284352.36		
0.00	(47) नेफ्ट सस्पेंस	0.00		
141922.00	(48) सस्पेंस अन्य	184466.00		
3873000.00	(49) कॉ–ऑप. रिसर्च फण्ड	4263000.00		
0.00	(50) नाबार्ड एफएलसी	0.00		
0.00	(51) एटीएम क्लिरिंग सस्पेंस	767760.00		
5785000.00	(52) गबन धोखाधड़ी प्रावधान	5785000.00		
26286936.18	(53) सस्पेंस आर.टी.जी.एस	10568708.76		
153710.77	(54) एन.पी.सी.आई. रिटर्न (एसीएच)	245140.64		
2261064.00	(55) एकमुश्त समझौता योजना	1911016.00		
127750.79	(56) विलंबित टैक्स देयता	127750.79		
52352952.08	(57) माईग्रेशन अंतर	52338993.08		
3258376.56	(10) आकस्मिक देयताऐं		4761534.21	4761534.21
3258376.56	अ. जमाकर्ता शिक्षा व जागरूकता अभियान	4761534.21		
82852949.38	(11) लाभ	0.00	79617823.46	79617823.46
56727899.40	गत वर्ष का लाभ	82852949.38		
39056049.98	वर्ष 2023.24 का लाभ	44643049.08		
95783949.38	योग	127495998.46		
12931000.00	वितरण लाभ(–)	47878175.00		
82852949.38	**योग**	**79617823.46**		
21019943429.41	**महायोग**			**21839576154.14**

हस्ता / –
सांख्यिकीय प्रभारी

हस्ता / –
प्रबंधक (लेखा)

हस्ता / –
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

हस्ता / –
कलेक्टर एवं प्रशासक

मे0 पी.सी. छाजेड़ एण्ड कंपनी, इंदौर
(चार्टड अकाउन्टेन्टस)
सी.ए. अंकित श्रीमाल (सदस्यता न. 438226)
फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 101800W

P C CHHAJED & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

10/4 MURAI MOHALLA CHAWNI, INDORE – 452001

अंकेक्षण प्रमाण पत्र

मैं निम्न हस्ताक्षरकर्ता अंकेक्षण विवरण प्रमाणित करता हूँ कि मेरी फर्म द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित मंदसौर जिसका पंजीयन क्र. 5 दिनांक 19-07-1918 तथा RBI का पंजीयन क्रमांक RPCD/40/2011-12 दिनांक 12 जनवरी 2012 हैं, तथा जो महू नीमच रोड, मंदसौर जिला मंदसौर में है, का अंकेक्षण मध्यप्रदेश सहकारी समितियों अधिनियम एवं पंजीयक सहकारी समितियों मध्यप्रदेश भोपाल एवं रिजर्व बैंक / नाबार्ड / ICAI के द्वारा प्रस्तावित विधि से पूर्ण किया गया है। बैंक का पंजीयन प्रमाण पत्र/लायसेंस बैंक कार्यालय में उपलब्ध है।

मेरे द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मंदसौर का 31 मार्च 2024 तक की स्थिति का विवरण पत्रक, लाभ-हानि पत्रक जो उस दिनांक से समाप्त होने वाले लेखाओं से संबंधित है की प्रधान कार्यालय तथा शाखाओं द्वारा भेजे गये प्रमाणित लेखाओं के आधार पर जांच की गयी जो कि इन पत्रको में सम्मिलित किये गये है।

अतः मेरे मत्त में अंकेक्षण टीप में उल्लेखित आक्षेपो को छोड़कर-

1. बैंक का व्यवसाय आमतौर पर विधिवत उपनियमों एवं नियमों के अंतर्गत तथा पंजीयक सहकारी समितियों/अपेक्स बैंक भोपाल के प्रशासनिक निर्देशों के एवं बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट की आवश्कताएँ के अनुरूप किया गया है।
2. बैंक की स्थिति विवरण पत्रक स्पष्ट है। आवश्यक सभी जानकारी जो कि बैंक के व्यवहार एवं स्थिति को है उनका समावेश इनमें है। मुझे जो जानकारी बैंक की स्थिति के संबंध में बताई गई है तथा जो खातों में दर्शायी गयी है उनका समावेश इन पत्रकों में है। आपत्तियाँ आडिट नोट में बताई गई है।
3. आवश्यकतानुसार समस्त जानकारी मेरे संतोष होने तक बैंक द्वारा मुझे उपलब्ध कराई गई है।
4. बैंक का समस्त व्यवहार, व्यवसाय निर्धारित कार्य सीमा के अंतर्गत किया गया है।
5. अंकेक्षण हेतु जो प्रपत्र बुलाये गये सभी पूर्ण एवं पर्याप्त है।
6. लाभ हानि पत्रक शेष लाभ का सही चित्रण करता है। आपत्तियों आडिट नोट में बताई गई है।
7. बैंक की स्थिति विवरण पत्रक एवं लाभ हानि पत्रक नियमों के अनुरूप बनाए गए है। 8. मेरे मत से बैंक की समस्त लेखा पुस्तिकाएँ आवष्यकता के अनुरूप रखी गई है। अतः मैं नाबार्ड के परिपत्र, परिपत्र क्र. रा.वे.म.प्र.भो./431/1.1/2013-14 06.05.2013 द्वारा प्रकाशित निर्देशों में दी गई कसौटी के आधार पर बैंक को "अ" वर्ग में वर्गीकृत करता हूँ।
8. **वर्ष 2023-24 के लिए अंकेक्षण वर्गीकरण "अ" की पुष्टि की जाती है।**

- सांविधिक अंकेक्षक-

FOR: P C CHHAJED & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

CA. ANKIT SHRIMAL
(Partner)
M. NO. 438226
FRN: 101800W

DATE:26-06-2024
PLACE: MANDSAUR

P C CHHAJED & CO. FRN-101800W Chartered Accountants

कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाऐ
उज्जैन, संभाग उज्जैन
संपरीक्षा प्रतिवेदन तथा निर्गमन पत्र
क्रमांक/अंके./निर्गमन/47/दिनांक 28/6/24

संयुक्त आयुक्त सहकारिता
उज्जैन संभाग, उज्जैन

हर्ष एवं उल्लास से मनाया आजादी का पर्व

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर "हर घर तिरंगा" 9 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक चलाया गया। इसी तारतम्य में म.प्र. राज्य सहकारी संघ द्वारा राज्य संघ परिसर से दिनांक 14 अगस्त 2024 को तिरंगा यात्रा आयोजित की गई जिसमे राज्य संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन, श्री अर्चित सहारे, सहायक निदेशक हस्तशिल्प सेवा केन्द्र भोपाल, उपप्रबंधक श्री गणेश प्रसाद मांझी, लेखाधिकारी श्रीमति रेखा पिप्पल, राज्य समन्वयक श्री संतोष येडे एवं वस्त्रमंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित वृहद हस्तशिल्प क्लस्टर विकास परियोजना के 50 हस्तशिल्पी उपस्थित रहें।

राज्य सहकारी संघ मुख्यालय मे संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुरात रंजन द्वारा 15 अगस्त 2024 को झण्डा फहराया गया। इस कार्यक्रम मे विशेष अतिथि के रूप मे श्री अर्चित सहारे, हस्तशिल्प सेवा केन्द्र भोपाल, सीड संस्था के अध्यक्ष श्री मनीष राजपूत, सचिव श्री धर्मेन्द्र राजपूत, उपस्थित रहे। इस अवसर पर राज्य संघ की लेखाधिकारी श्रीमति रेखा पिप्पल, उप प्रबंधक श्री गणेश प्रसाद मांझी, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र की प्राचार्या श्रीमति मीनाक्षी बान, पूर्व प्राचार्य श्री ए. के. जोशी, श्री शोभित ब्यौहार, श्री धनराज सैदाणें, श्री विक्रम मुजुमदार, श्री ज्ञानू सिंह एवं वस्त्रमंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित वृहद हस्तशिल्प क्लस्टर विकास परियोजना के 50 हस्तशिल्पी उपस्थित रहें। कार्यक्रम मे श्री रंजन ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा आप जहाँ पर हो जो भी कार्य कर रहे हो, पूरी लगन एवं मेहनत कर पूर्ण करे जिससे आपकी संस्था बढे, आप बढे इसी से देश आगे बढे और हम प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस बडे हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाए। समारोह को देशभक्ति गीतों के साथ सम्पन्न किया गया।

म.प्र.राज्य सहकारी संघ द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव जिला छतरपुर मे स्वतंत्रता दिवस पर श्री शिरीष पुरोहित प्राचार्य द्वारा झण्डा फहराया गया जिसमे श्री पुरोहित ने अपने उद्बोधन में कहा कि आजादी दिलाने मे सहकारिता आंदोलन की बड़ी भूमिका रही है। सब को सहभागी बनाना एवं सहभागिता तय करना सहकारिता का उद्देश्य है। "बिन सहकार नहीं उद्धार" परिकल्पना बिना विकास पथ पर नहीं जाया जा सकता है। श्री बाबूलाल कुशवाह एवं श्री हृदेश कुमार राय जिला सहकारी प्रशिक्षक नौगांव आदि कर्मचारीगण के साथ स्वतंत्रता दिवस बडे झूमझाम से मनाया गया। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर मे स्वतंत्रता दिवस पर श्री दिलीप मरमट प्राचार्य द्वारा झण्डा फहराया गया जिसमें श्री सुयंश शर्मा, श्रीमति राधा शर्मा, श्री प्रदीप कुमार रायकवार एवं श्री राहुल श्रीवास जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक आदि कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

सहकारी प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर मे स्वतंत्रता दिवस पर श्री विजय कुमार बर्वे प्राचार्य जबलपुर द्वारा झण्डा फहराया गया। कार्यक्रम अवसर पर श्री अखिलेश सिंह, श्री पीयूष राय, श्री जय कुमार दुबे जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक जबलपुर, एवं श्री एन.पी. दुबे, आदि कर्मचारीगण स्वतंत्रता दिवस समारोह मे उपस्थित रहें।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा संचालित

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध

प्रवेश

पहले आयें प्रवेश पायें

PGDCA

(योग्यता - स्नातक उत्तीर्ण)

कुल फीस 12000/-(6000 प्रति सेमेस्टर)

DCA

(योग्यता -10 +2 उत्तीर्ण)

कुल फीस 10000/- (5000 प्रति सेमेस्टर)

संपर्क :-

सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध प्रशिक्षण केंद्र

ई- 8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल

फोन:0755-2926160, 2926159 मो. 9893281971, 8770988938

Website-www.mpscu.in

Email-rajyasanghbpl@yahoo.co.in

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र

किला मैदान इंदौर, म.प्र. पिन-452006 - मो. 913139234, 8109186990, 7974058199

Email - ctcindore@rediffmail.com

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।